

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्दीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 233/2025

अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. खेताराम पुत्र सगराराम जाति जाट, निवासी भाड़ा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. खुमाराम पुत्र अलसाराम 2. खेराज पुत्र अलसाराम 3. चिमनाराम पुत्र अलसाराम 4. बगाराम पुत्र अलसाराम 5. सुखराम पुत्र अलसाराम जाति जाट, निवासी एकल तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर 6. खेतु पुत्री सगराराम 7. देवू पत्नी सगराराम 8. देवाराम पुत्र सगराराम 9. राधा पुत्री सगराराम 10. लक्ष्मी पुत्री सगराराम 11. शांति पुत्री सगराराम 12. अणसी पत्नी मेघाराम 13. गोविन्द चौधरी पुत्र मेघाराम 14. वासुदेवी चौधरी मेघाराम 15. अमराराम पुत्र शेराराम 16. नारायणराम पुत्र शेराराम 17. पेमीदेवी पत्नी शेराराम 18. मंगलाराम पुत्र शेराराम 19. लाखाराम पुत्र शेराराम 20. खीयाराम पुत्र देराजराम 21. दुर्गाराम पुत्र देराजराम 22. धीराराम पुत्र देराजराम 23. नेनूदेवी पत्नी देराजराम 24. वगताराम पुत्र देराजराम 25. गंगाराम पुत्र राजूराम 26. लिखमाराम पुत्र राजूराम 27. चुनाराम पुत्र सोनाराम 28. हुरमी पत्नी सोनाराम 29. अणदा पुत्र जेठा 30. केशा पुत्र पुरखा 31. दीपा पुत्र पुरखा 32. मला पुत्र पुरखा 33. हुकमा पुत्र पुरखा 34. खेतु पुत्री भोजा 35. जीयो पुत्री भोजा 36. थानी पुत्री भोजा 37. छेवाराम पुत्र भोजा 38. धुडी पुत्री भोजा 39. पारू पुत्री भोजा 40. मेघाराम पुत्र भोजा 41. रूपो पुत्री भोजा 42. सिंगारी पत्नी धर्मा जाति जाट, निवासी भाड़ा तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 43. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थी वकील –श्री दोष मोहमद

विप्रार्थी संख्या 1 से 42 के वकील– श्री श्रीराम विश्नोई

–: निर्णय :-

दिनांक:- 11.11.2025

प्रार्थी खेताराम पुत्र सगराराम जाति जाट निवासी भाड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 42 तक की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा भाड़ा पटवार हल्का एकल भू अभिलेख नि० क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 370/262 रकबा 3.6017 हैक्टैयर, खसरा संख्या 372/262 रकबा 4.8481 हैक्टैयर किरम बा०सोयम, व खसरा संख्या 481 रकबा 1.0603 हैक्टैयर किरम बा०सोयम व मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का एकल भू. अभिलेख नि०




उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सेड़वा



क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 328/119 रकबा 10.9022 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम, व मौजा भाम्भुओ का तला पटवार हल्का सारला भूअभिलेख नि0 क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 627/194 रकबा 22.8242 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम, भूमि आयी हुई है। प्रार्थी के पिता सगराराम के फौत होने पर हल्का पटवारी एकल व सारला के द्वारा नामान्तरकरण पारित करवाया गया जिसमें प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 9903 दिनांक 15.07.2023 को पारित किया गया था जिसमें भुलवंश प्रार्थी के नाम खेताराम पुत्र सगराराम के स्थान पर हरीश पुत्र सगराराम अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी अनपढ व्यक्ति था जिसे अपने जीवनकाल में अपनी जोत में नाम गलत होने की जानकारी नहीं रही प्रार्थी को अपना नाम गलत होने की जानकारी नहीं थी। जब प्रार्थी को अपने खेत की खतौनी की आवश्यकता होने पर हल्का पटवारी से जमाबंदी प्राप्त की तो जमाबंदी में प्रार्थी का नाम गलत होने की जानकारी हुई। प्रार्थी का नाम खेताराम पुत्र सगराराम है। लेकिन भुलवंश राजस्व अधिकारीयो द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम हरीश पुत्र सगराराम अंकित कर दिया है लेकिन प्रार्थी अपना नाम वास्तविक नाम खेताराम पुत्र सगराराम है तथा आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, तथा राशन कार्ड व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम खेताराम पुत्र सगराराम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी को अपनी भूमि पर कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर बैंको आदि में आवेदन करने पर कठीनाईयो का सामना करना पड़ता है। इससे प्रार्थी को अपने हकूको पर भारी कुठाराघात होने की सम्भावना है इसलिए प्रार्थी का नाम को दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी को खेत मौजा भाड़ा पटवार हल्का एकल भूअभिलेख नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 370/262 रकबा 3.6017 हैक्टेयर, खसरा संख्या 372/262 रकबा 4.8481 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम व खसरा संख्या 481/33 रकबा 1.0603 हैक्टेयर, किस्म बा0सोयम व मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का एकल भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 328/119 रकबा 10.9022 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम व मौजा भाम्भुओ का तला पटवार हल्का सारला भूअभिलेख निरीक्षक सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 627/194 रकबा 22.8242 हैक्टेयर किस्म बा0दोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हरीश पुत्र सगराराम के स्थान पर खेताराम पुत्र सगराराम करने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 42 के की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्‍नोई ने वाकालतनामा पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक कोर्ट/2025/1775 दिनांक 28.08.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार




उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

मौका जांच के पत्रांक: भू.अ./2025/1041 दिनांक 29.09.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक 6017 हैक्टेयर, खसरा संख्या 372/262 रकबा 4.8481 हैक्टेयर, 481/33 रकबा 1.0603 हैक्टेयर तथा ग्राम रामदेरिया पश्चिम के खसरा संख्या 328/119 रकबा 10.9022 हैक्टेयर में प्रार्थी खेताराम पुत्र सगराराम कौम जाट का नाम हरीश पुत्र सगराराम कौम जाट नाम दर्ज है। उक्त नाम जरिये विरासत नामान्तरण से प्रार्थी का नाम दर्ज हुआ था मौके पर उपस्थित प्रार्थी एवं मौतबरानों को पूछताछ में बताया कि प्रार्थी खेताराम का बचपन का नाम हरीश है जबकि प्रार्थी के साक्ष्य दस्तावेज आधार कार्ड 228141238482 अंकतालिका कक्षा 10वीं व अन्य दस्तावेज में खेताराम पुत्र सगराराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खेताराम नाम सही होने का शपथ पत्र संलग्न किया है। हरीश पुत्र सगराराम कौम जाट नाम का अन्य कोई व्यक्ति ग्राम भाडा में निवास नहीं करता है। अतः मौका जांच उपरान्त प्रार्थी का नाम हरीश पुत्र सगराराम के स्थान पर खेताराम पुत्र सगराराम नाम शुद्ध किया जाना उचित है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाए गए।”

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 233/2025 उनवान खेताराम बनाम खुमाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के खेत मौजा भाडा पटवार हल्का एकल भू.अभिलेख नि. क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 370/262 रकबा 3.6017 हैक्टेयर, खसरा संख्या 372/262 रकबा 4.8481 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम व खसरा संख्या 481/33 रकबा 1.0603 हैक्टेयर, किस्म बा0सोयम व मौजा रामदेरिया पश्चिम पटवार हल्का एकल भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 328/119 रकबा 10.9022 हैक्टेयर किस्म बा0सोयम व मौजा भाम्भुओ का तला पटवार हल्का सारला भू.अभिलेख निरीक्षक सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 627/194 रकबा 22.8242 हैक्टेयर किस्म बा.सो. की भूमि में उनवान खेताराम बनाम खुमाराम वगैरा जाति जाट साकिन भाडा में नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के



उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांक: भू.अ. 4 /2025/1041 दिनांक 29.09.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 11.09.2025, ^{22.09.2025} खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



निर्णय आज दिनांक को खुले इजलास में सुनाया गया।
 11.11.2025

(Signature)
 (बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
 उपखण्ड अधिकारी
 (SDO) सेड़वा

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

दिनांक:- 29.09.2025

क्रमांक/भू.अ./2025/ 1041

प्रेषित:- श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेडवा (जिला- बाडमेर)

विषय:- राजस्व वाद संख्या 233/2025 अनवान खेताराम बनाम खुमाराम वगैरहा अन्तर्गत RT Act धारा 136 में नाम दुरस्ती की मौका जांच रिपोर्ट पेश करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्ता विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 233/2025 अनवान खेताराम बनाम खुमाराम वगैरहा में मौजा भाडा के खसरा नंबर 370/262, 372/262, 481/33 रामदेरिया पश्चिम के खसरा नम्बर 328/119, भाम्भुओं का तला के खसरा नम्बर 627/194 का अन्तर्गत धारा 136 RT ACT में मौका जांच हेतु आप द्वारा नाम दुरस्ती की मौके की रिपोर्ट चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक सारला और अरटी द्वारा दिनांक 22.09.2025 को मौका जांचकर मौका रिपोर्ट तैयार कर इस पत्रांक के सलंगन श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंगल:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
(जोताराम मीणा)
तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा

Validity unknown

Digitally signed by Jota Ram Meena
Designation : Tehsildar
Date: 2025.09.29 13:05:15 IST
Reason: Approved



मौका फर्द

पुनर्विवाह

भाज दिनांक 11/09/2025 को श्रीमान तहसीलदार महोदय सेडवा के
क्रीदेशा क्रमांक/228/ 871- 872 डि 01/09/2025 एवं माननीय न्यायालय
उपलब्ध अधिकारी सेडवा के राजस्व आवेदक सं: 233/2025 अंतर्गत
खेताराम बनाम खुमाराम वर्ग 2 ह मन्तगत धारा 136 RLR अर्च में
अपना नाम इरुल्ली की न्यायालय रिपोर्ट तैयार करने हेतु
हल्का पटवारी हकल के साथ मौके पर आये।

मौके पर उपस्थित जर्षी खेताराम पुत्र हरीश तथा मातृभयानो
के दूरदूरी मौका जंच की गई।

पटवार महडल हकल के राजस्व ग्राम भाडा के खजाना सं. 370/262,
रकबा 3.6017 हे. ज. 1. 372/262 रकबा 4.8481 हे, 481/33 रकबा
1.0603 हे ब्या ग्राम रामदेरिया पश्चिम के खजाना सं. 328/119
रकबा 10.9022 हे. अर्च में जर्षी खेताराम पुत्र सगराराम अंतर्गत
का नाम हरीश पुत्र सगराराम अंतर्गत नाम दर्ज है वरत नाम
जर्षी विरासत नामालक्षण से जर्षी का नाम दर्ज हुआ था मौके पर
उपस्थित जर्षी एवं मातृभयानो को पुल्लाफ में बताया कि जर्षी खेताराम
का वचन का नाम हरीश है जर्षी के साक्ष्य दस्तावेज
क्रमांक 2281, 4123 8482 अनुसूचितिका क्रमा 10th व अन्य दस्तावेज में
खेताराम पुत्र सगराराम अंतर्गत जर्षी अर्च अथ खेताराम नाम जर्षी जेने
का प्राप्य पत्र संलग्न किया है हरीश पुत्र सगराराम नाम अंतर्गत नाम
का अन्य कोई जर्षी ग्राम भाडा के विवाह नही करना है।

अतः मौका जंच उपरान्त जर्षी का नाम हरीश पुत्र सगराराम के ल्याज
पर खेताराम पुत्र सगराराम नाम सुद्ध किया जाना उचित है।

मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर/अंगुठी
संक्षिप्त अस्वाये गये।


जर्षी
खेताराम

खेताराम

11/09/2025
पटवार महडल
तहसील सेडवा

11/09/2025
RLR अंकी


खुमाराम

खेताराम

लोलाराम

देवाराज
खेताराम


खेताराम



मौका फर्द

प्रति कोर्ट

मान दिनांक 23/11/25 को प्रमाण तहसीलदार महीष सिद्धा के कोर्टा हमाक (उ.अ) 871, 872 दिनांक 01.09.2025 एवं माननीय न्यायालय उपरान्त अधिकारी सेइवा के राजस्व आवेदन संख्या 233/2025 इनबान खेताराम बनाम सुमाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 आर एन आर एक्ट में मान्य दुकूली की तथ्याक्त रिपोर्ट तैयार करने हेतु हल्का पटवारी पटवार हल्का स्तारला के सहाय मांके पर आये।

मांके पर उपस्थित प्राथी खेताराम उर्फ हरिश् तथा मोलखरी के कथक मांका जांच के उपर पटवार हल्का स्तारला के राजस्व जांच मामलों का तला 627/194 रफबा 22-8242 है वही पर मांका खेताराम पुत्र सगराराम कोन जाट का नाम हरिश् पुत्र सगराराम कोन जाट नाम दुर्ज उक्त नाम जुरिचे विरासत नामान्तरण के प्राथी का नाम दुर्ज हल्का का मांके पर उपस्थित प्राथी एवं मोलखरी के पुस्तक में बगया के प्राथी खेताराम का वचपन का नाम हरिश् है जबकि प्राथी के सहाय दस्तावेज साधार फार्ड 2281, 4123, 8482, एक तालीका कक्षा 10th व अन्य दस्तावेज में खेताराम पुत्र सगराराम दुर्ज के प्राथी द्वारा खेताराम नाम सही लीने का शपथपत्र सलंगन दिला है हरिश् पुत्र सगराराम कोन जाट नाम का कथक कोर्ट व्यापक गण भाडा में विधान गरी करण है।

अतः मांका जांच उपरान्त प्राथी का नाम

हरिश् पुत्र सगराराम के कथान पर खेताराम पुत्र सगराराम सुध दिला जाना उचित है मोका फर्द मांके पर बगये जाकर उपस्थित लोगों के हक्कादार/ साक्ष्य विभाग हाजिर हरपाये गये।

22/09/25

खेताराम पटवारी (भू. अ.) पटवार मण्डल नहसील सेइवा

22/09/25

ILR सतार



खेताराम

खेताराम



खेताराम

खेताराम

खेताराम

खेताराम (भू. अ.) सेइवा



खेताराम

खेताराम

खेताराम